

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 284/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

### 01.थाना- जीयनपुर: 10 हजार रूपयें आवेदक के खाते में कराया गया वापस ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

आवेदक अशोक कुमार यादव पुत्र सामा यादव निवासी अम्मा आईमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने यूपीआई मो0नं0 9455383xxxx से दिनांक 29.07.2025 को मो0नं0 808119xxxxx पर फोनपे के माध्यम से 10000/- रूपया ट्रान्जेक्शन किया जा रहा था नम्बर मिसमैच होने के कारण मो0नं0 9081191787 पर 10000/- रूपया ट्रान्जेक्शन हो गया था । मो0नं0 9081191787 के धारक द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा था । जिससे आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी गयी । शिकायत की जाँच उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया ।

### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक अशोक कुमार यादव पुत्र सामा यादव निवासी अम्मा आईमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का दिनांक 29.07.2025 को मो0नं0 मिसमैच होकर मो0नं0 9081191787 पर फोनपे के माध्यम से 10000/- रूपया ट्रान्सफर हुए पैसे को आवेदक के खाते में वापस/ बरामद कराया गया ।

आवेदक अशोक कुमार यादव पुत्र सामा यादव निवासी अम्मा आईमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का दिनांक 29.07.2025 को मो0नं0 मिसमैच होकर मो0नं0 9081191787 पर फोनपे के माध्यम से 10000/- रूपया ट्रान्सफर हुए पैसे को आवेदक के खाते में वापस/ बरामद कराया गया आवेदक अपना पैसा वापस / बरामद पाकर थाना जीयनपुर आजमगढ़ पुलिस का धन्यवाद दे रहे है ।



## 02.थाना- फूलपुर: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 07-07-2025 को मुकदमा वादी श्री मनोज सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 07-07-025 को समय करीब 6.00 बजे शाम को हल्का लेखपाल व कानूनगो सरकारी नाली दिखाने मौके पर गया हुआ था वही पर पहले से घात लगाकर बैठे गाँव के मनोज सिंह s/o अमरनाथ व अन्य लोग एक राय होकर प्रार्थी को और कमलेश सिंह s/o रामएस सिंह को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने कि नियत से लाठी डंडे व तलवार से हमला कर दिया । जिससे मुझ प्रार्थी को दाहिने आंख पाव उसके निचे जबड़े पर बहुत ही गम्भीर चोट आई है, के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0-187/2025 धारा 3(5)/115(2)/351(3)/352/109 BNS बनाम मनोज सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह व अन्य निवासी इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 08-08-2025 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह व अन्य निवासी इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 44 वर्ष को भोरमऊ पुलिया से अस्पतपुर गाँव जाने वाली मोड़ के पास से समय करीब 23-30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-मनोज सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह व अन्य निवासी इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 44 वर्ष पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-187/2025 धारा 3(5)/115(2)/351(3)/352/109 BNS

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	187/25	3(5)/115(2)/351(3)/352/109 BNS	दीदारगंज	आजमगढ़
2	171/24	323, 429, 452, 504, 506 भादवि व 3(1)ध,3(1)द,3(2)5क	दीदारगंज	आजमगढ़
3	265/24	115(2), 333, 351(2), 352 बीएनएस	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।



### 03.थाना बिलरियागंज: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.03.25 को आवेदक सुर्यप्रकाश मिश्र पुत्र स्व0 रामचन्द्र मिश्र ग्रा0 सेठारी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि जमीनी विवाद की रंजीश को लेकर समय करीब 1 बजे दिन मे मेरे ही गांव के निवासी प्रदीप मिश्र, प्रवीण पुत्रगण विश्वनाथ, मिथलेश पुत्र राम सकल, रविन्द्र पुत्र चन्द्रिका, दीपनरायन पुत्र चन्द्रिका, आकाश, आदर्श पुत्रगण राजेश पुष्पा मिश्रा पत्नी मिथलेश, पवन कुमार राय ( जैकी) पुत्र उमेश राय निवासी पटवध सरैया प्रतीक मिश्र पुत्र रविन्द्र व तीन लोग अज्ञात लाठी डन्डा धार दार हथियार से लैस होकर नाजायज गोल बनाकर गालियां देते हुए दरवाजे पर चढ़ आए कैमरा तोड़ने के बाद घर मे घुसकर जान मारने के नियत से मेरे भाई जय प्रकाश मिश्र मेरी भाभी रीता मिश्रा, भतीजा किशन (जयश्रीष) मेरे पुत्र शिवम मिश्र मेरी पत्नी लक्ष्मी मिश्रा को घर में घुसकर मार पीटकर बेहोश कर दिए मेरे परिवार के घायलो की हालत नाजुक है उन्हें गम्भीर चोटे आई इस घटना को गांव के बहुत से लोगो ने देखा उपरोक्त लोग जान से मार डालने की धमकी देते चले गए और दुकान मे तोड़ फोड़ भी किए सारे घायलों को PHC बिलरियागंज ले जाया गया वहाँ से डाक्टरों द्वारा नाजुक स्थिति देखते हुए तुरन्त रेफर कर दिया गया सभी घायलो जिला अस्पताल आजमगढ़ मे भर्ती कराया गया । प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/25 धारा 3(5)/333/109/110/115(2)/352/351(2)/324(4) BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

#### गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 09.08.2025 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रदीप मिश्र पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम सेठारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को अभियुक्त के घर पर दबिश देकर समय 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 87/25 धारा 3(5),333,109,110,115(2),352,351(2),324(4) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास.....प्रदीप मिश्रा पुत्र विश्वनाथ मिश्रा निवासी सेठारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1. 15/25 316(2), 318(4), 319(2), 351(2), 352 बीएनएस बिलरियागंज आजमगढ़
2. 87/25 धारा 3(5), 324(5), 333, 109, 110, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस बिलरियागंज आजमगढ़
3. 116/23 147, 323, 336, 504, 506 भादवि बिलरियागंज आजमगढ़
4. 144/21 352, 504, 506 भादवि बिलरियागंज आजमगढ़
5. 147/18 323, 406, 504, 506 भादवि बिलरियागंज आजमगढ़
6. 159/20 323, 336, 504, 506 भादवि बिलरियागंज आजमगढ़
7. 116/2023 147/323/336/504/506 भादवि बिलरियागंज आजमगढ़
8. 177/2017 323/452/504/506 भादवि बिलरियागंज आजमगढ़
9. 774/2011 294/323/352/427/500/504/506 भादवि कप्तानगंज आजमगढ़

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

1- प्रदीप मिश्रा पुत्र विश्वनाथ मिश्रा निवासी सेठारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
- 2- हे0का0 गाँधी यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- 3- का0 विकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- 4- म0का0 शशिबाला शुक्ला थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



# थाना बिलरियागंज



जनपद-आजमगढ़

CUG No: 9454402906

सोजन्य से: बिल्किस मार्ट, कासिमगंज



## 04.थाना बिलरियागंज: चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

### ! गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 08.08.2025 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा नसीरपुर बाजार में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति उपेन्द्र उर्फ सोनू यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम जमील मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को एक चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस, एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 20.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 252/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 251/2025 धारा 317(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 252/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़

### बरामदगी ---

- 1- एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस काली कलर
- 2- एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर
- 3- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता--

1. उपेन्द्र उर्फ सोनू यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी ग्राम जमील मोहम्मदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

### पूछताछ विवरण:

पकड़े गये व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब मेरे साथ मेरा दोस्त विरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप नि0 सवरूपुर रामपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने मिलकर दिनांक 08.08.2025 को रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से गाड़ी को चुराया था, मैं इस गाड़ी को बेचने जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



## 05. थाना- कोतवाली: अपरहण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

### पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक- 26.12.2024 को वादिनी मुकदमा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरी पुत्री राजकीय बालिका इण्टर कालेज जनपद आजमगढ़ मे पढ़ती है जो अपने नानी के घर र थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ से अपने विद्यालय अध्ययन करने के लिए जाती थी। रोज की भांति दिनांक 24/12/2024 भी सुबह 9 बजे विद्यालय के लिए निकली थी परन्तु विद्यालय की छुट्टी के बाद शाम 4 बजे तक विद्यालय से घर वापस नहीं आयी। तो विद्यालय पता किया गया तो पता चला कि एक लडका विशाल यादव पुत्र स्व0 शंकर यादव 17/194 कांशीराम आवास रैदोपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ का रहने वाले अपने साथ बहला फुसलाकर कही भगाकर ले गया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 674/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस दि. 26.12.24 को पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

आज दिनांक- 09.08.2025 को उ0नि0 हरिकेश राय चौकी प्रभारी सिविल लाईन, कां0 कृष्णा भारती, म0कां0 रंजना थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. विशाल यादव पुत्र स्व0 शंकर यादव निवासी 17/194 काशीराम आवास रैदोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को समय 13.50 बजे थाना परिसर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया, सम्बन्धित पीड़िता भी बरामद हुई है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. विशाल यादव पुत्र स्व0 शंकर यादव निवासी 17/194 काशीराम आवास रैदोपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 674/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली टीम--

1- उ0नि0 हरिकेश राय चौकी प्रभारी सिविल लाईन, कां0 कृष्णा भारती, म0कां0 रंजना थाना कोतवाली आजमगढ़



**06. थाना मुबारकपुर: साइबर फ्रॉड के कुल 19,849/- रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराया गया।**

**पूर्व की घटना:-**

दिनांक 12.08.2024 को आवेदक श्री इकरार हुसैन पुत्र अबरार हुसैन निवासी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के मोबाइल में फ्रॉडस्टर द्वारा Apk File इंस्टाल कराकर 35,101/- रूपया की साइबर ठगी कर ली गयी थी। उक्त साइबर फ्राड के सम्बन्ध में 1930 टोल फ्री नम्बर के माध्यम से साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया गया था।

**रूपया वापसी का विवरण:-**

आवेदक श्री इकरार हुसैन पुत्र अबरार हुसैन निवासी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के फ्राड हुए रुपये में से 19849/- रुपये एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से फ्राडस्टर दावा श्रीवाणी पुत्र दावा रामलू निवासी आसिफ नगर करीम नगर मण्डल आंध्रप्रदेश के खाते में होल्ड कराया गया। तत्पश्चात मा0न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 08.08.2025 को आवेदक इकरार हुसैन उपरोक्त के बैंक खाते में 19,849/- रूपया वापस कराया गया है।

**पुलिस टीम:-**

निरीक्षक अपराध श्री अखिलेश शुक्ल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
उपनिरीक्षक श्री आशुतोष मौर्य थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए मेहताब आलम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़  
महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

